

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(द्रा.बिल)2013 / वसु / प्रमुवसं / पार्ट-8 / 5087 दिनांक 3.6.13

मुख्य वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी,
अरावली भवन, जयपुर ।

विषय:- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के संबंध में वनभूमि पर हकपत्रों के रेकॉर्ड के संबंध में पृथक रजिस्टर संधारण करने एवं वनाधिकार अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत विपथन की सूचना संकलित करने बाबत ।

संदर्भ:- राज्य सरकार का पत्रांक प. 8 (10) वन/2005 पार्ट दि. 12.3.13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के संदर्भित पत्र एवं इस के संलग्नक वन अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकृत वन अधिकारों का रजिस्टर परिशिष्ट "अ" एवं सामुदायिक वन अधिकारों का रजिस्टर परिशिष्ट "ब" एवं वन अधिकार अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वनभूमि को गैर वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त स्वीकृत प्रस्तावों हेतु निर्धारित प्रपत्र इत्यादि की प्रतियां संलग्न प्रेषित है। अतः कृपया इन्हें विभागीय अधिकारियों एवं जन साधारण की सुविधा हेतु विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें, ताकि संभागीय मुख्य वन संरक्षकों को संकलित सूचना इस कार्यालय को प्रतिमाह भिजवाना सुविधाजनक हो सकें।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक,
वनसुरक्षा वनभवन, जयपुर।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प08(10)वन/2005 पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 12.03.2013

प्रेषित:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ)
राजस्थान जयपुर

विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के संबंध में वनभूमि पर हक पत्रों के रेकार्ड के संबंध में पृथक रजिस्टर संधारण करने बावत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक एफ.14(ट्रा.बिल)2012/वनिस/अप्रमुवसं/152 दिनांक 02.01.2013

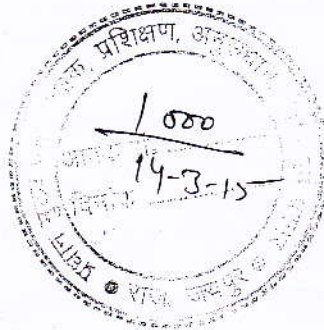
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ1(वन)(10)निगरानी समिति/सीटीएडी/2012/2565 दिनांक 10.2.2013 के साथ संलग्न परिशिष्ट "अ" व "ब" अनुसार वनभूमि के अधिकार पत्रों के रजिस्टर संधारण करने हेतु सहमति दे दी गयी है।

अतः उक्त पत्र की प्रति मय परिशिष्टों के संलग्न कर निवेदन है कि विभाग द्वारा दो प्रपत्रों अनुसार रजिस्टर संधारण करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करते हुए प्रति प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित करने का श्रम करे।

भवदीय

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



(सी.एस. रत्नासामी)
शासन सचिव

Register VAN formatSheet1.1

[illegible]

Monthly Progress Report regarding diversion of forest land for provision of developmental facilities under Section 3(2) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

As on the end of Month of

[illegible]